न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:–17/19

दायर दिनांक:–19.06.2019 **निर्णय दिनांक :– 24.7.2020**

उनवान

शान्ति पुत्री भागीरथ पत्नि जंगलिया जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज0)।

–वादनी

बनाम

1–कप्तानसिंह पुत्र घासीलाल जाति खंगार निवासी पनवारी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी(म.प्र.)।

2–राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा वास्ते विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0 एक्ट

अन्तिम डिक्री 24.7.2020

उक्त उनवानी प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.12.2019 की पालना में तहसीलदार शाहबाद से ग्राम भोयल तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान की आराजी खसरा नं0 423 रकबा 4.03 बीघा जिसमें रिकार्ड के अनुसार वादनी के हिस्सा 1/2 का विभाजन स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया जो न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारान वकिलों को विभाजन प्रस्ताव पढक़र सुनाया गया । भोयल के आराजी ख0नं0 423 रकबा 4.03 बीघा उक्त खसरा नम्बर में वादनी को 2.02 बीघा दक्षिण साईड में हिस्सा एवं प्रतिवादी कप्तानसिंह पुत्र घासीलाल जाति खंगार निवासी पनवारी तह0 कोलारस को 2.01 बीघा उत्तरी साईड में, विभाजन कर वादनी के खाते पृथक दर्ज किया जावे तथा राजस्व नक्शे में वादनी के हिस्से को उपरोक्तानुसार तरमीम किया जावें ।

पर्चा अन्तिम डिक्री पृथक से तैयार कर शामिल की जावें। निर्णय आज दिनांक 24.7.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner